[2019] 9 एस. सी. आर. 799

पीआर। आय कर आयुक्त, नई दिल्ली

वी.

मारूती सुजुकी इंडिया लिमिटेड

(2019 की सिविल अपील संख्या 5409)

25 जुलाई, 2019

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

इंदिरा बनर्जी, जे. जे.]

आय कर अधिनियम, 1961। 143 (2) , 292 बी और एसएस। 2 (31) ,

92 सीए (3), 142 (1), 144 सी (15) (बी), 148,153 (1), 153 (4), 170 (2), 260 ए-निर्धारिती, सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के बीच संयुक्त उद्यम मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल) को सुजुकी मेटल के नाम से जाना जाता था।

निगमन पर इंडिया लिमिटेड-इसके बाद, 8 जून 2005 से, इसका नाम बदलकर सुजुकी पावरट्रेन इंडिया लिमिटेड (एस. पी. आई. एल.) कर दिया गया। 28 नवंबर 2012 को, निर्धारिती ने एस. पी. आई. एल. के नाम पर अपनी आय की विवरणी दाखिल की, जिसमें आय की घोषणा की गई। 212,51,51,156 / - – 29 जनवरी 2013 को एस. पी. आई. एल. और एम. एस. आई. एल. के एकीकरण की योजना को मंजूरी दी गई थी।

उच्च न्यायालय 1 अप्रैल 2012 से-यू/यू जारी किए गए नोटिस s.143 (2) और 142 (1) समामेलन कंपनी को-मसौदा मूल्यांकन आदेश पारित किया गया था

एस. पी. आई. एल. के नाम पर निर्धारिती की कुल आय में रु. 31 अक्टूबर 2016 को एस. पी. आई. एल. के नाम से अंतिम मूल्यांकन आदेश पारित किया गया था-आई. टी. ए. टी. के समक्ष अपील में, निर्धारिती ने आपत्ति जताई कि गैर-मौजूद इकाई एस. पी. आई. एल. के नाम पर मूल्यांकन कार्यवाही जारी रखी गई थी और गैर-मौजूद इकाई के नाम पर जारी अंतिम मूल्यांकन आदेश अमान्य था-अंतिम मूल्यांकन आदेश को दरकिनार कर दिया गया-उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई-आयोजितः वर्तमान मामले में, यू/एस को नोटिस करें। 143 (2) जिसके अंतर्गत निर्धारण अधिकारी द्वारा किसी गैर-मौजूद व्यक्ति को अधिकारिता जारी की गई थी

कंपनी-विलय करने वाली कंपनी के खिलाफ मूल्यांकन आदेश जारी किया गया था-यह मूल रूप से अवैध है और प्रक्रियात्मक उल्लंघन नहीं है। प्रकृति का एस में विज्ञापन किया गया। 292 बी-तथ्य के बावजूद कि

होने के कारण

मूल्यांकन अधिकारी को समामेलन कंपनी के बारे में सूचित किया गया था समामेलन की अनुमोदित योजना के परिणामस्वरूप अस्तित्व समाप्त हो गया,

अधिकारिता संबंधी सूचना केवल उसके नाम पर जारी की गई थी-जिस आधार पर अधिकारिता का आह्वान किया गया था, वह मूल रूप से इस कानूनी सिद्धांत के विपरीत था कि समामेलन करने वाली इकाई का अस्तित्व समाप्त हो जाता है।

समामेलन की अनुमोदित योजना-समामेलित कंपनी द्वारा भागीदारी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि स्पाइस एनफोटेनमेंट मामले में समन्वय पीठ के फैसले को देखते हुए कानून के खिलाफ कोई रोक नहीं हो सकती है, जिसने 2 नवंबर 2017 को राजस्व की अपील को खारिज कर दिया था-एवाई 2011-2012 के लिए विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए प्रतिवादी के मामले में स्पाइस एनफोटेनमेंट मामले में निर्णय का पालन किया गया है-एक अलग दृष्टिकोण लेने का कोई कारण नहीं है और वर्तमान के संबंध में इसे अपनाया जाता है।

अपील जो ए. वाई. 2012-13-भारत के संविधान-Art.141 कंपनी अधिनियम, 1956 से संबंधित है - s.394-- एस्टोपेल-विलय का सिद्धांत।

असेसी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल) के बीच एक संयुक्त उद्यम है। निगमन के बाद, निर्धारिती को सुजुकी मेटल इंडिया के रूप में जाना जाता था सीमित। इसके बाद, 8 जून 2005 से इसका नाम बदलकर सुजुकी पावरट्रेन इंडिया लिमिटेड (एस. पी. आई. एल.) कर दिया गया। 28 नवंबर 2012 को, निर्धारिती ने रुपये की आय घोषित करते हुए अपनी आय विवरणी दाखिल की। 212,51,51,156 / - . आय विवरणी एस. पी. आई. एल. के नाम से दाखिल की गई थी (संबंधित तिथि पर कोई समामेलन नहीं हुआ था)। 29 जनवरी 2013 को, एस. पी. आई. एल. और एम. एस. आई. एल. के एकीकरण के लिए एक योजना को उच्च न्यायालय द्वारा 1 अप्रैल 2012 से मंजूरी दी गई थी। 2 अप्रैल 2013 को, एमएसआईएल ने समामेलन के मूल्यांकन अधिकारी को सूचित किया। 26 सितंबर 2013 को धारा 143 (2) के तहत नोटिस जारी करके मामले को जांच के लिए चुना गया था, इसके बाद समामेलन करने वाली कंपनी को धारा 142 (1) के तहत एक और नोटिस दिया गया था। 11 मार्च 2016 को, एस. पी. आई. एल. (एम. एस. आई. एल. के साथ समामेलित) के नाम पर मूल्यांकन आदेश का मसौदा पारित किया गया था। आदेश में निर्धारिती की कुल आय में एक करोड़ रुपये की वृद्धि करने की मांग की गई थी। 78.97 यह सुनिश्चित करने के लिए कि संबद्ध को रॉयल्टी के भुगतान के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन, हस्तांतरण मूल्य प्रस्ताव के आदेश के अनुसार करोड़

उद्यम हाथ की लंबाई पर है। 12 अप्रैल 2016 को, एम. एस. आई. एल. ने पूर्ववर्ती एस. पी. आई. एल. के हित में उत्तराधिकारी के रूप में विवाद समाधान पैनल (डी. आर. पी.) के समक्ष अपील दायर की, जिसके बाद से इसका विलय हो गया। डीआरपी ने एमएसआईएल के नाम पर आदेश जारी किया। अंतिम मूल्यांकन आदेश पारित किया गया था 31 अक्टूबर 2016 को एस. पी. आई. एल. के नाम पर रु. 78.97 निर्धारिती की कुल आय में करोड़। निर्धारिती ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की। न्यायाधिकरण ने 6 अप्रैल 2017 के आदेश के माध्यम से अंतिम पीआर को दरकिनार कर दिया।

आय कर आयुक्त, नई दिल्ली बनाम. मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड।

मूल्यांकन आदेश इस आधार पर कि यह शुरू से ही अमान्य था, मूल्यांकन अधिकारी द्वारा एक गैर-अस्तित्व वाली संस्था के नाम पर पारित किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा धारा 260 ए के तहत अपील में आदेश की पुष्टि की गई थी। इसलिए, वर्तमान अपील।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1.1 वर्तमान मामले के कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैंः (i) ए. वाई. 2012-13 के लिए कर के प्रभार के अधीन होने की मांग की जाने वाली आय समामेलन से पहले पूर्ववर्ती इकाई (एस. पी. आई. एल.) की आय है। यह रुपये के हस्तांतरण मूल्यवर्धन के कारण है। 78.97 करोड़; (ii) समामेलन की अनुमोदित योजना के तहत, हस्तांतरणकर्ता ने ऋण की देनदारियों को ग्रहण कर लिया है।

हस्तांतरणकर्ता कंपनी, कर देनदारियों सहित; (iii) धारा 394 के तहत अनुमोदित समामेलन की योजना का परिणाम

कंपनी अधिनियम 1956 यह है कि समामेलन कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो गया है; (iv) समामेलन कंपनी का अस्तित्व समाप्त होने पर, इसे अधिनियम 1961 की धारा 2 (31) के तहत एक व्यक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है, जिसके खिलाफ मूल्यांकन कार्यवाही शुरू की जा सकती है या मूल्यांकन का आदेश पारित किया जा सकता है; (v) 26 सितंबर 2013 से पहले जब धारा 143 (2) के तहत अधिकार क्षेत्र का नोटिस जारी किया गया था, समामेलन की योजना को 29 जनवरी को मंजूरी दी गई थी। 2013 1 अप्रैल 2012 से कंपनी अधिनियम 1956 के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा; (vi) निर्धारण अधिकारी ने धारा 143 (2) के तहत नोटिस के अनुसरण में मूल्यांकन करने का अधिकार क्षेत्र ग्रहण किया। यह नोटिस समामेलन कंपनी के नाम पर इस तथ्य के बावजूद जारी किया गया था कि 2 अप्रैल 2013 को,

समामेलित कंपनी एम. एस. आई. एल. ने समामेलन के तथ्य की सूचना देते हुए मूल्यांकन अधिकारी को एक पत्र लिखा था। तथ्यों के उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, एक इकाई के खिलाफ मूल्यांकन कार्यवाही की शुरुआत जो अस्तित्व में नहीं थी, शुरू से ही अमान्य थी। [पैरा 19] [816-ए-डी; 817-ए-ई] 1.2 स्पाइस एंटरटेनमेंट में, दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या किसी कंपनी के नाम का मूल्यांकन, जिसे विलय कर दिया गया है और जिसे भंग कर दिया गया है, अमान्य है या, क्या ऐसी कंपनी के नाम पर मूल्यांकन तैयार करना केवल एक प्रक्रियात्मक दोष है जिसे ठीक किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 143 (2) के तहत एक नोटिस को संबोधित किए जाने पर, समामेलित कंपनी [2019] 9 एस. सी. आर.

समामेलन के तथ्य को मूल्यांकन अधिकारी के ध्यान में लाया था। इसके बावजूद, मूल्यांकन अधिकारी ने समामेलित कंपनी के नाम को प्रतिस्थापित नहीं किया और एक गैर-मौजूद कंपनी के नाम पर एक मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़े जो इसे अमान्य बनाता है। यह, उच्च न्यायालय की दृष्टि में, था केवल एक प्रक्रियात्मक दोष नहीं। इसके अलावा, समामेलित कंपनी की भागीदारी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि हो सकता है

कानून के खिलाफ विरोध न करें। स्पाइस एंटरटेनमेंट में निर्णय के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मूल्यांकन आदेशों को रद्द कर दिया जो समामेलन करने वाली कंपनी के नाम पर बनाए गए थेः

(i) आयाम परिधान; (ii) माइक्रोन स्टील; और (iii) माइक्रा इंडिया। [पैरा 20] [817-एफ-एच; 818-ई-एफ] 1.3 दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपीलों का एक समूह दायर किया गया था, जिसमें प्रमुख अपील की गई थी

मसाला मनोरंजन होना। 2 नवंबर 2017 को इस न्यायालय की एक पीठ जिसमें माननीय न्यायमूर्ति श्री रोहिंटन फली नरीमन शामिल थे

और माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय किशन कौल ने दीवानी अपीलों को खारिज कर दिया और विशेष अनुमति याचिकाओं को टैग किया। विलय के सिद्धांत के परिणामस्वरूप एक तय कानूनी स्थिति बनती है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले की सिविल अपील में उक्त निर्णय द्वारा पुष्टि की जाती है। के मामले में मूल्यांकन का क्रम

ए. वाई. 2011-12 के लिए प्रतिवादी को उसी आधार पर अलग रखा गया था। इसके परिणामस्वरूप प्राचार्य द्वारा विशेष अनुमति याचिका दायर की गई।

आयकर आयुक्त-6 दिल्ली। विशेष अनुमति याचिका को इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 16 जुलाई 2018 को खारिज कर दिया गया था, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति श्री रोहिंटन फली नरीमन और माननीय न्यायमूर्ति सुश्री इंदु मल्होत्रा शामिल थे। 285 2014 का मसाला मनोरंजन और मामलों के संबंधित समूह में। हालाँकि, इस न्यायालय द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन इस न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति को अस्वीकार करने के लिए कारण बताए गए हैं।

1.4 यह मामले के विशिष्ट तथ्यों में था कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी सहमति का संकेत दिया कि मामले में गलत नाम दिया गया था। नोटिस केवल एक लिपिकीय त्रुटि थी, जिसे धारा 292 बी के तहत ठीक किया जा सकता था। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी पीआर के "अजीबोगरीब तथ्य"।

आय कर आयुक्त, नई दिल्ली बनाम. मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड।

दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले से उभरते हैं। [पैरा 27] [821-डी-ई]

1.5 स्पाइस एनफोटेनमेंट (दिनांक 2 नवंबर 2017) और स्काईलाइट में इस अदालत के फैसलों के बीच कोई टकराव नहीं है।

यह एक मूल अवैधता है और धारा 292 बी में प्रकृति का प्रक्रियात्मक उल्लंघन नहीं है। [पैरा 30,31] [823-डी; 824-ए, डी] 1.6 वर्तमान मामले में, इस तथ्य के बावजूद कि मूल्यांकन अधिकारी को समामेलन कंपनी के बंद होने के बारे में सूचित किया गया था

समामेलन की अनुमोदित योजना के परिणामस्वरूप अस्तित्व में रहने के लिए, क्षेत्राधिकार सूचना केवल इसके नाम पर जारी की गई थी। जिस आधार पर अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया गया था, वह मूल रूप से इस कानूनी सिद्धांत के विपरीत था कि समामेलन की अनुमोदित योजना पर समामेलन इकाई का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। परिस्थितियों में अपीलार्थी द्वारा कार्यवाही में भागीदारी कानून के खिलाफ एक अवरोध के रूप में काम नहीं कर सकती है। यह स्थिति अब दो विद्वान न्यायाधीशों की एक समन्वित पीठ के फैसले के मद्देनजर है, जिसने 2 नवंबर 2017 को स्पाइस एनफोटेनमेंट में राजस्व की अपील को खारिज कर दिया था। ए. वाई. 2011-2012 के लिए विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए प्रतिवादी के मामले में स्पाइस एनफोटेनमेंट में निर्णय का पालन किया गया है। ऐसा करते हुए, इस न्यायालय ने स्पाइस एनफोटेनमेंट के फैसले पर भरोसा किया है। [पैरा 33] [827-बी-डी] 1.7 अलग दृष्टिकोण रखने का कोई कारण नहीं मिलता है। एक मूल्य है जिसका न्यायालय को हितों को बढ़ावा देने में पालन करना चाहिए।

कर मुकदमेबाजी में निश्चितता। वह दृष्टिकोण जो इसके द्वारा लिया गया है

ए. वाई. 2011-12 के लिए प्रतिवादी के संबंध में न्यायालय को वर्तमान अपील के संबंध में अपनाया जाना चाहिए जो ए. वाई. 2012 13 से संबंधित है। ऐसा न करने से केवल अनिश्चितता और तय की गई अपेक्षाओं का विस्थापन होगा। एक महत्वपूर्ण मूल्य है जो निरंतरता और निश्चितता की आवश्यकता को देखने से जुड़ा होना चाहिए। व्यक्तिगत मामलों का संचालन किया जाता है और व्यावसायिक निर्णय निरंतरता, एकरूपता और निश्चितता की अपेक्षा में किए जाते हैं। उन सिद्धांतों से हटना न तो समीचीन है और न ही वांछनीय। [पैरा 34] [827-ई-एफ] [2019] 9 एस।

[2015] 370 आई. टी. आर. 288 (डेल); सी. आई. टी. बनाम माइक्रोन स्टील्स पी. लिमिटेड. [2015] 372 आई. टी. आर. 386 (डेल) (एम. ए. जी.); सी. आई. टी. बनाम माइक्रा इंडिया (पी.) लिमिटेड. [2015] 331 टैक्समैन 809 (डेल.) सी. आई. टी. बनाम बी. एम. ए. कैपफिन लिमिटेड [2018] 100 329 (डेल.) राजेंद्र कुमार सहगल बनाम आईटीओ (2019) 260 टैक्समैन 412 (डेल); चंद्रेशभाई जयंतीभाई पटेल बनाम। आईटीओ (2019) 261 कर अधिकारी 137 (गुजरात); आयकर आयुक्त, शिलांग बनाम। जय प्रकाश सिंह (1996) 3 एससीसी 525: [1996] 3 एस. सी. आर. 377; चट्टूराम बनाम सी. आई. टी. (1947) 15 आई. टी. आर. 303

(एफ. सी.); पटियाला के महाराजा बनाम सी. आई. टी. (1943) 11 आई. टी. आर. 202 (बॉम्बे)-संदर्भित।

2018 की एसएलपी (सी) डायरी संख्या 14106; कुन्हयामद वी। केरल राज्य (2000) 6 एस. सी. सी. 359: [2000] 1 पूरक। एस. सी. आर. 538; सरस्वती औद्योगिक सिंडिकेट लिमिटेड बनाम। सी. आई. टी. (1990) 186 आई. टी. आर. 278 (एस. सी.)-पर निर्भर था। हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड (चौथा संस्करण खंड 7)-संदर्भित।

पीआर। आय कर आयुक्त, नई दिल्ली बनाम. मारुति सुज इंडिया लिमिटेड।

मामला कानून संदर्भ

(2017) 397 आईटीआर 681 डेल

पै

रा 1

संदर्भित किया गया है

2012 (280) ई. एल. टी. 43 (डेल.)

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

(2018) 405 आईटीआर 296 (दिल्ली) [2000] 1 पूरक। एससीआर 538

उस पर भरोसा करें

पै

रा 17

(1990) 186 आईटीआर 278 (एससी)

उस पर भरोसा करें

पै

रा 18

संदर्भित किया गया है

पै

रा 18

(2016) 380 आई. टी. आर. 272 (कर)

संदर्भित किया गया है

(2018) 402 आईटीआर 21 (डेल)

पै

रा 18

(2017) 397 आई. टी. आर. 529 (डेल)

संदर्भित किया गया है

पै

रा 18

(2016) 382 आई. टी. आर. 443 (डेल)

संदर्भित किया गया है

पै

रा 18

[2014] 364 आईटीआर 600 (गुजरात)

संदर्भित किया गया है

पै

रा 18

पै

रा 18

[2017] 77 160 (गुज.)

संदर्भित किया गया है

[2018] 257 टैक्समैन 72 (मद्रास)

संदर्भित किया गया है

पै

रा 18

संदर्भित किया गया है

(2015) 370 आईटीआर 288 (डेल)

पै

रा 18

(2015) 372 आई. टी. आर. 386 (दिल्ली)

संदर्भित किया गया है

पै

रा 18

(2015) 231 टैक्समैन 809 (डेल.)

संदर्भित किया गया है

पै

रा 18

संदर्भित किया गया है

[2018] 100 329 (डेल.)

पै

रा 18

(2019) 260 टैक्समैन 412 (डेल)

संदर्भित किया गया है

पै

रा 18

(2019) 261 कर अधिकारी 137 (गुजरात)

पै

रा 18

संदर्भित किया गया है

[1996] 3 एससीआर 377

संदर्भित किया गया है

पै

रा 32

(1947) 15 आई. टी. आर. 303 (एफ. सी.)

संदर्भित किया गया है

पै

रा 32

(1943) 11 आई. टी. आर. 202 (बॉम्बे)

संदर्भित किया गया है

पै

रा 32

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 5

2019 से।

उच्च न्यायालय के 09.01.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 की आयकर अपील संख्या 18 में नई दिल्ली में दिल्ली सरकार की ओर से।

के. एम. नटराज, ए. एस. जी., अरिजीत प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता। , जोहेब होस्स

श्रद्धा देशमुख, रजत नायर, अरविंद कुमार शर्मा, सुश्री अदी मुजाहिद, पीयूष गोयल, श्रीमती अनिल कटियार, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

19] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अजय वोहरा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री कविता झा, वैभव कुलकर्णी, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. यह अपील 9 जनवरी 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के एक फैसले से उत्पन्न होती है, जिसने इस फैसले को बरकरार रखा था।

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण 1. न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि मूल्यांकन वर्ष 3 2012-13 के लिए सुजुकी पावरट्रेन इंडिया लिमिटेड 2 के नाम पर किया गया मूल्यांकन एक अमान्य है क्योंकि इकाई को विलय की एक अनुमोदित योजना के तहत मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया था और यह अस्तित्व में नहीं था। उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के इस दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए प्रिंसिपल में ए. वाई. 2011-12 के लिए अपने स्वयं के निर्णय का पालन किया। आयकर आयुक्त-6, नई दिल्ली बनाम मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एस. पी. आई. एल. का उत्तराधिकारी) ("मारुति सुजुकी")। धारण करना

कि कानून का कोई सवाल ही नहीं उठा, उच्च न्यायालय ने आयकर अधिनियम 19616 की धारा 260 ए के तहत अपील को खारिज कर दिया।

2. राजस्व अपील में है।

3. ए. वाई. 2011-12 के लिए उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने 16 जून को एक विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी थी।

जुलाई 2018 निम्नलिखित टिप्पणियों के साथः

" पक्षकारों की विद्वान सलाह सुनी। देरी को माफ कर दिया गया।

सी. आई. टी., नई दिल्ली बनाम मेसर्स में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 02.11.2017 के आदेश को ध्यान में रखते हुए। स्पाइस एनफोटेनमेंट लिमिटेड (2014 का सिविल अपील सं. 285 आदि) , यह विशेष अनुमति याचिका भी खारिज कर दी जाती है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका निपटारा कर दिया जाएगा।

प्रत्यर्थी की ओर से, यह आग्रह किया गया है कि ए. वाई. 2011-12 के संबंध में विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने के मद्देनजर,

वर्तमान मामले में वही कार्रवाई होनी चाहिए जो ए. वाई. 2012-13 के मूल्यांकन से संबंधित है।

1 " न्यायाधिकरण "

2 " स्पील " 3 " ए. वाई. "

4 " एम. एस. आई. एल. 5 (2017) 397 आई. टी. आर. 681 (डी. ई. एल.) 6 अधिनियम 1961

7 2018 पीआर की एसएलपी (सी) डायरी संख्या 14106।

आय कर आयुक्त, नई दिल्ली बनाम. मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

4. हमने अपीलार्थी की ओर से विद्वान वकील श्री जोहेब हुसैन और उत्तरदाताओं की ओर से श्री अजय की दलीलें सुनी हैं। वोहरा, विद्वान वरिष्ठ वकील। विवाद की प्रकृति की सराहना करने के लिए, तथ्यों का वर्णन शिक्षाप्रद होगा।

5. निर्धारिती सुजुकी मोटर का एक संयुक्त उद्यम है।

निगम और एमएसआईएल। निर्धारिती में दोनों कंपनियों की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत और 30 प्रतिशत थी। निर्धारिती को सुजुकी मेटल इंडिया लिमिटेड के रूप में निगमित किया गया था। इसके बाद,

8 जून 2005 से इसका नाम बदलकर एस. पी. आई. एल. कर दिया गया।

6. 28 नवंबर 2012 को, निर्धारिती ने रुपये की आय घोषित करते हुए अपनी आय विवरणी दाखिल की। 212,51,51,156 / - . आय विवरणी एस. पी. आई. एल. के नाम से दाखिल की गई थी (संबंधित तिथि पर कोई समामेलन नहीं हुआ था)।

7. 29 जनवरी 2013 को, एस. पी. आई. एल. और एम. एस. आई. एल. के एकीकरण के लिए एक योजना को उच्च न्यायालय द्वारा 1 अप्रैल 2012 से मंजूरी दी गई थी।

अनुमोदित योजना की शर्तों में प्रावधान किया गया है कि हस्तांतरणकर्ता कंपनी की सभी देनदारियां और कर्तव्य बिना किसी आगे के कार्य या विलेख के हस्तांतरणकर्ता कंपनी को हस्तांतरित किए जाएंगे। योजना के लागू होने पर, हस्तांतरणकर्ता को समाप्त किए बिना भंग कर दिया जाना था। योजना में निर्धारित किया गया था कि समामेलन के आदेश को कानून के अनुसार स्टाम्प शुल्क या करों या किसी अन्य शुल्क, यदि देय हो, के भुगतान से छूट देने वाले आदेश के रूप में नहीं माना जाएगा।

8. 2 अप्रैल 2013 को, एमएसआईएल ने समामेलन के मूल्यांकन अधिकारी को सूचित किया। 26 सितंबर 2013 को धारा 143 (2) के तहत एक नोटिस जारी करके मामले को जांच के लिए चुना गया था, जिसके बाद समामेलन कंपनी को धारा 142 (1) के तहत एक नोटिस जारी किया गया था। 9. 22 जनवरी 2016 को, हस्तांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारियों ने धारा 92 सीए (3) के तहत एक आदेश पारित किया जिसमें हथियार की लंबाई का मूल्य निर्धारित किया गया।

3 प्रतिशत पर रॉयल्टी और रुपये का समायोजन। 78.97 संबंधित पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी के संबंध में रु।

10. 11 मार्च 2016 को सुजुकी पावरट्रेन इंडिया लिमिटेड (मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ समामेलित) के नाम से एक मसौदा मूल्यांकन आदेश पारित किया गया था। मूल्यांकन आदेश के मसौदे में निर्धारिती की कुल आय में एक करोड़ रुपये की वृद्धि करने की मांग की गई थी। 78.97 टी. पी. ओ. के आदेश के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन

टीपीओ "[2019] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संबद्ध उद्यमों को रॉयल्टी के भुगतान के संबंध में आर्मस लेंथ है।

11. एम. एस. आई. एल. ने अपनी अधिकृत इकाई के माध्यम से पूर्ववर्ती समामेलन इकाई, एस. पी. आई. एल. की मूल्यांकन कार्यवाही में भाग लिया।

प्रतिनिधि और अधिकारी। ए. वाई. 2012-13 के लिए मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष मूल्यांकन कार्यवाही के आदेश पत्रों की प्रतियों से यह स्पष्ट है। समामेलन के बाद, 30 सितंबर 2013 को, चार्टर्ड एकाउंटेंटों ने आय आयुक्त को एक पत्र लिखा।

कर, सर्कल 9 (1), ए. वाई. 2012-13 के लिए मूल्यांकन कार्यवाही के स्थगन के लिए धारा 143 (2) के तहत नोटिस के अनुसार

ए. वाई. 2010-11 और ए. वाई. 2011-12 के लिए मूल्यांकन कार्यवाही पूरी की गई। 27 अक्टूबर 2014 को, आयकर सर्कल 9 (1) के उपायुक्त ने प्रधान अधिकारी, एस. पी. आई. एल. को एक पत्र भेजकर एक विस्तृत प्रश्नावली का जवाब मांगा। इसके बाद, 4 सितंबर 2015 को, आयकर सर्कल 16 (1) के उपायुक्त ने ए. वाई. 2012-13 के मूल्यांकन के दौरान जानकारी का खुलासा करने के लिए कहा। संचार को संबोधित किया गया थाः

" प्रधान अधिकारी

मेसर्स सुजुकी पावर ट्रेन इंडिया लिमिटेड
(अब मेसर्स मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) "।

12. 8 अक्टूबर 2015 को एमएसआईएल के लिए डीजीएम (वित्त) द्वारा धारा 142 के तहत नोटिस के जवाब में एक संचार को संबोधित किया गया था।

(1) ए. वाई. 2012-13 के लिए एस. पी. आई. एल. के मामले की ओर इशारा करते हुए।

13. 12 अप्रैल 2016 को, एमएसआईएल ने पूर्ववर्ती एस. पी. आई. एल. के हित में उत्तराधिकारी के रूप में विवाद समाधान पैनल के समक्ष अपनी अपील दायर की।

एकीकृत किया गया। फॉर्म 35 ए को एमएसआईएल के प्रबंध निदेशक और सीईओ श्री केनिची अयुकावा द्वारा सत्यापित किया गया था। डी. आर. पी. के समक्ष अपील के आधारों ने इस आपत्ति का संकेत नहीं दिया कि मूल्यांकन आदेश का मसौदा एस. पी. आई. एल. (एम. एस. आई. एल. के साथ समामेलित) के नाम पर पारित किया गया था या यह दोष मूल्यांकन कार्यवाही को अमान्य कर देगा।

15. अंतिम मूल्यांकन आदेश 31 अक्टूबर 2016 को एस. पी. आई. एल. (एम. एस. आई. एल. के साथ समामेलित) के नाम से पारित किया गया था। 9 " डीआरपी "पीआर।

आय कर आयुक्त, नई दिल्ली बनाम. मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

रु. 78.97 निर्धारिती की कुल आय में करोड़। न्यायाधिकरण के समक्ष एक अपील को प्राथमिकता देते हुए, निर्धारिती ने आपत्ति जताई कि मूल्यांकन की कार्यवाही गैर-अस्तित्व वाले के नाम पर जारी रखी गई थी।

या विलय की गई इकाई एस. पी. आई. एल. और यह कि अंतिम मूल्यांकन आदेश जो एक गैर-अस्तित्व वाली इकाई के नाम पर भी जारी किया गया था, अमान्य होगा।

निर्धारण अधिकारी द्वारा एक गैर-अस्तित्व वाली संस्था के नाम पर पारित किया गया। धारा के तहत एक अपील में न्यायाधिकरण के फैसले की पुष्टि की गई थी 2609 जनवरी 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ए

ए. वाई. 2011-12 के लिए निर्धारिती के मामले में निर्णय। इसने वर्तमान अपील को जन्म दिया है। 17. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री जोहेब हुसैन ने प्रस्तुत किया किः

((i)

धारा 143 (3) के तहत आदेश केवल इस आधार पर कि मूल्यांकन समामेलन के नाम पर तैयार किया गया था। कंपनी, जो अस्तित्व में नहीं थी, इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि

मूल्यांकन आदेश में समामेलित कंपनी और समामेलित कंपनी दोनों के नामों का उल्लेख किया गया था।

यहां तक कि इस परिकल्पना पर भी कि मूल्यांकन आदेश तैयार किया गया था

((ख)

गलत तरीके से समामेलन करने वाली कंपनी के नाम पर, यह एक "गलती, दोष या चूक" के बराबर होगा, जिसे धारा 292 बी के तहत ठीक किया जा सकता है, जब मूल्यांकन "सार और प्रभाव में, इरादे और उद्देश्य के अनुरूप या उसके अनुसार" होता है।

अधिनियम;

(iii)

अपील की कार्यवाही में समामेलित कंपनी का विधिवत प्रतिनिधित्व समामेलित कंपनी द्वारा किया गया था। मूल्यांकन आदेश द्वारा किसी भी पक्ष के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया गया था और इसलिए मूल्यांकन आदेश को 'मात्र तकनीकीता' पर अमान्य करना कानून में गलत होगा। की प्रभावी भागीदारी थी मूल्यांकन कार्यवाहियों में निर्धारिती और उन लोगों के मन में कोई संदेह नहीं था जिन्होंने उस इकाई के बारे में भाग लिया जिसके संबंध में मूल्यांकन कार्यवाहियां हुईं; सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

सी आर।

स्पाइस एंटरटेनमेंट लिमिटेड बनाम सेवा आयुक्त

कर 1 0 10 ("स्पाइस एंटरटेनमेंट") 1 1, अंतिम मूल्यांकन आदेश

केवल पूर्ववर्ती इकाई के नाम का उल्लेख किया गया जो था गैर-मौजूद और परिणामी का कोई संदर्भ नहीं था

और अंतिम मूल्यांकन आदेश, दोनों के नाम समामेलित और समामेलित कंपनियों का उल्लेख किया गया था;

स्पाइस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 11 में

मनोरंजन, यह आयोजित किया गया था किः

" 11. 11 अप्रैल, 2004 को योजना की मंजूरी के बाद,

मसाला 1 जुलाई, 2003 से अस्तित्व में नहीं है। भले ही स्पाइस ने विवरणी दाखिल की हो, लेकिन आयकर अधिकारियों पर यह दायित्व बन गया कि वे इसके स्थान पर उत्तराधिकारी को प्रतिस्थापित करें।

"मृत व्यक्ति" ने कहा। जब धारा 143 (2) के तहत नोटिस भेजा गया था, तो अपीलकर्ता/समामेलित कंपनी पेश हुई और इस तथ्य को एओ के संज्ञान में लाया। हालाँकि, उन्होंने अभिलेख पर अपीलार्थी का नाम प्रतिस्थापित नहीं किया। इसके बजाय, मूल्यांकन अधिकारी ने मेसर्स स्पाइस के नाम पर मूल्यांकन किया जो उस दिन गैर-मौजूदा इकाई थी। ऐसी कार्यवाही और मेसर्स स्पाइस के नाम से पारित मूल्यांकन आदेश स्पष्ट रूप से अमान्य होगा। इस तरह के दोष को प्रक्रियात्मक दोष नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा केवल भागीदारी का कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि कानून के खिलाफ कोई रोक नहीं है।

एलएलपी बनाम सहायक आयकर आयुक्त, सर्कल 28 (1) , नई दिल्ली 1 2 ("स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी"), जिसकी पुष्टि इस अदालत ने 6 अप्रैल 2018 1 3 को एक स्थिति से निपटा।

280) ई. एल. टी. 43 (डी. एल.) को स्पाइस इंफोटेनमेंट वी. के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान कर रिपोर्टर में ई-कर आयुक्त [(2012) 247 सीटीआर (डेल) 500]

● 405 आईटीआर 296 (दिल्ली)

आय कर आयुक्त, नई दिल्ली बनाम. मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

जहां धारा 148 के तहत एक गैर-मौजूद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर एक नोटिस जारी किया गया था। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी गैर-विद्यमान कंपनी का नाम अभिलिखित करने में दोष धारा 148 के तहत नोटिस एक प्रक्रियात्मक दोष या गलती थी जिसे धारा 292 बी के तहत ठीक किया जा सकता था, क्योंकि निर्धारिती को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पाइस एंटरटेनमेंट के फैसले को इस आधार पर अलग किया कि उस मामले में अंतिम मूल्यांकन आदेश भी एक गैर-अस्तित्व के नाम पर था।

कंपनी; वर्तमान मामले में, मूल्यांकन आदेश का मसौदा और

अंतिम मूल्यांकन आदेश में समामेलित और समामेलित कंपनियों के नाम शामिल थे और इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि अंतिम आदेश किसी गैर-अस्तित्व वाली कंपनी के नाम पर है। टी. पी. ओ. का आदेश निर्धारिती द्वारा चुनौती का विषय नहीं है।

किसी भी मंच से पहले। टी. पी. ओ. के निर्देशों को लागू किया गया

मूल्यांकन आदेश के मसौदे में निर्धारण अधिकारी द्वारा

धारा 144 सी (1) के अनुसार जिसे तब चुनौती दी गई थी धारा 144 सी (2) के तहत डी. आर. पी. के समक्ष निर्धारिती द्वारा। तब से

समामेलित और समामेलित दोनों के नाम

मूल्यांकन आदेश के मसौदे और अंतिम मूल्यांकन आदेश में कंपनियों का उल्लेख किया गया था, कोई क्षेत्राधिकार दोष नहीं है;

कुन्हयमद बनाम केरल राज्य ("कुन्हयमद") मामले में इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, हालांकि विलय का सिद्धांत तब लागू नहीं होता है जब अपील करने की अनुमति देने से पहले एक विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी जाती है, जहां एक विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने का आदेश एक बोलने वाला आदेश है और कारण दिए गए हैं।

याचिका को अस्वीकार करने के लिए सौंपा गया, कानून में कहा गया या घोषित किया गया ऐसा आदेश अनुच्छेद 141 को आकर्षित करेगा; और

नतीजतन, वैकल्पिक रूप से, एक ओर स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी में 6 अप्रैल 2018 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश और दूसरी ओर एवाई 2011-12 के लिए वर्तमान निर्धारिती के मामले में 16 जुलाई 2018 के आदेश और 2 दिनांकित पूर्व आदेश को ध्यान में रखते हुए।

नवंबर 2017 में सी. आई. टी., नई दिल्ली बनाम स्पाइस एनफोटेनमेंट

Ltd.[1]5 ("स्पाइस एनफोटेनमेंट लिमिटेड"), इस सिद्धांत पर विचारों का सीधा टकराव प्रतीत होता है कि क्या एक गैर-मौजूद कंपनी को जारी किया गया नोटिस एक क्षेत्राधिकार त्रुटि से पीड़ित होगा।

6 एस. सी. सी. 359

या क्या यह केवल एक दोष या गलती है जो होगी धारा 292 बी द्वारा शासित।

18. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ वकील श्री अजय वोहरा ने कहा किः

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 394 के अनुसार, समामेलित कंपनी को समाप्त किए बिना भंग कर दिया जाता है। कानून की नजर में विलय करने वाली कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है [सरस्वती] औद्योगिक सिंडिकेट लिमिटेड बनाम सी. आई. टी. 1 6 (सरस्वती औद्योगिक)

इसके बाद समामेलित कंपनी को एक नहीं माना जा सकता है " अधिनियम 1961 की धारा 2 (31) के संदर्भ में व्यक्ति जिसके खिलाफ मूल्यांकन कार्यवाही शुरू की जा सकती है और एक मूल्यांकन आदेश

पारित किया;

अधिनियम की धारा 143 (2) के तहत अधिकार क्षेत्र की सूचना, जिसके अनुसार निर्धारण अधिकारी ने एक अधिकार क्षेत्र बनाने के लिए ग्रहण किया

मूल्यांकन एस. पी. आई. एल. के नाम पर जारी किया गया था, जो अस्तित्व में नहीं है।

इकाई, और अमान्य था। अतः मूल्यांकन की शुरुआत

एक गैर-अस्तित्व वाली इकाई के खिलाफ कार्यवाही शुरू से ही अमान्य थी।

- सी. आई. टी. बनाम इंटेल टेक्नोलॉजी इंडिया (पी) लिमिटेड 1 7 - पीसीआईटी बनाम नोकिया सॉल्यूशंस एंड नेटवर्क इंडिया (पी) लिमिटेड।

(" नोकिया सॉल्यूशंस ") 1 8 18

स्पाइस एंटरटेनमेंट

- इसी तरह, समामेलन के प्रभावी होने के बाद और समामेलन के तथ्य को निर्धारण अधिकारी के ध्यान में लाए जाने के बावजूद समामेलन करने वाली कंपनी को एक नोटिस शुरू से ही अमान्य है।

निम्नलिखित निर्णयों में लिया गयाः

- बी. डी. आर. बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड बनाम एसीआईटी 1 9 19

6] 380 आई. टी. आर. 272 (कर) 8] 402 आईटीआर 21 (डेल)

7] 397 आई. टी. आर. 529 (डेल)

आय कर मिशनर, नई दिल्ली बनाम। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।]

रुस्तगी इंजीनियरिंग उद्योग (पी.) लिमिटेड बनाम डीसीआईटी2 0

- खुराना इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम डीसीआईटी 2 1

- तक्षशिला रियल्टीज (पी) लिमिटेड बनाम डीसीआईटी22

- अलमेलु वीरप्पन बनाम आईटीओ 2,3 ("अलमेलु वीरप्पन")

ई. एस. पी. आई. एल. के नाम पर टी. पी. ओ. द्वारा पारित आदेश, एक गैर-अस्तित्व वाली इकाई कानून की नजर में अमान्य थीः

अधिनियम की धारा 144 सी (15) (बी) के संदर्भ में एस. पी. आई. एल. का "योग्य निर्धारिती" होना बंद हो गया। नतीजतन, एक मसौदा मूल्यांकन आदेश/संदर्भ पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी

डीआरपी आदि। ; और इसके अलावा, 31 अक्टूबर 2016 का अंतिम मूल्यांकन आदेश अधिनियम की धारा 153 (4) के साथ पठित धारा 153 (1) के संदर्भ में सीमा से परे है।

समामेलन के नाम पर तैयार किया गया मूल्यांकन

कंपनी अमान्य हैः

अधिनियम की धारा 170 (2) के संदर्भ में, एक बार समामेलन प्रभावी होने के बाद, आय के संबंध में मूल्यांकन

निर्धारित तिथि तक समामेलित करने वाली कंपनी को समामेलित कंपनी के हित में उत्तराधिकारी के रूप में समामेलित कंपनी के नाम पर।

• दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पाइस एंटरटेनमेंट में फैसला सुनाया है।

कि समामेलनक कंपनीक नाम पर बनाओल गेल एकटा आकलन, जे कानूनक दृष्टि मे अस्तित्वहीन भऽ गेल छल, अमान्य आ कानूनक दृष्टि सँ असमर्थनीय छल। इस तरह के दोष को अधिनियम की धारा 292 बी के संदर्भ में ठीक नहीं किया जाएगा। इसके अलावा तथ्य यह है कि

कि समामेलित कंपनी ने भाग लिया मूल्यांकन कार्यवाहियाँ अवरोध के रूप में कार्य नहीं करेंगी।

. उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के बाद

स्पाइस एंटरटेनमेंट का मामला, दिल्ली उच्च न्यायालय नाम पर बनाए गए मूल्यांकन आदेशों को रद्द कर दिया गया

82 आई. टी. आर. 443 (डेल)

64 आईटीआर 600 (गुजरात)

7 टैक्समैन। कॉम 160 (गुजरात) 57 टैक्समैन 72 (मद्रास)

एक समामेलित कंपनी का नाम भी दर्ज करना

समामेलित कंपनी, निम्नलिखित मामलों में:

-सी. आई. टी. बनाम डाइमेंशन अपेरल्स प्रा. लि. लिमिटेड 2 4 24 ("आयाम परिधान"); इस माननीय न्यायालय द्वारा सिविल के माध्यम से पुष्टि की गई

2015 की अपील सं. 3125;

- सी. आई. टी. बनाम माइक्रोन स्टील्स पी. लिमिटेड ("माइक्रोन स्टील्स") -सीआईटी बनाम माइक्रा इंडिया (पी) लिमिटेड ("माइक्रा इंडिया")।

दिल्ली उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों को इस न्यायालय द्वारा 2014 की सिविल अपील No.285 (और अन्य संबंधित मामलों) में अनुमोदित किया गया है। इस प्रकार विलय के सिद्धांत को लागू करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून ने

अनुच्छेद 141 के तहत एक मिसाल बन जाता है।

प्रत्यर्थी का मामला तुरंत पिछले वर्ष के लिए अपने स्वयं के मामले में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मारुति सुजुकी में रिपोर्ट किए गए अपने फैसले में उत्तरदाता के पक्ष में निम्नलिखित निर्णय दिया

स्पाइस एंटरटेनमेंट के मामले में निर्णय।

. इसके अलावा, राजस्व की एसएलपी को इस अदालत ने खारिज कर दिया था

16 जुलाई 2018 को एसएलपी (सी) D.No.14106/2018 में, निम्नलिखित

स्पाइस एंटरटेनमेंट में निर्णय।

. इस माननीय न्यायालय के निर्णय के आधार पर, निम्नलिखित निर्णयों में, एक गैर-अस्तित्व वाली इकाई (समामेलित करने वाली कंपनी) के मामले में तैयार किए गए आकलनों को निम्नलिखित माना गया है -

कानून की नजर में गैर-कानूनी:

- सी. आई. टी. बनाम बी. एम. ए. कैपफिन Ltd.27 (राजस्व की एस. एल. पी. खारिज)

19 नवंबर 2018-28 के उसी आदेश के विरुद्ध

2018 की एसएलपी (सी) डायरी No.40486 में उत्तीर्ण)। - नोकिया सॉल्यूशंस

372 आई. टी. आर. 386 (दिल्ली) (एम. ए. जी.) 331 टैक्समैन 809 (डेल.) 100 टैक्समैन। कॉम 329 (डेल.) 100 टैक्समैन। कॉम 330 (एससी)

आय कर आयुक्त, नई दिल्ली बनाम. मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय विशिष्ट है और इसके तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

वर्तमान मामलाः

फैसला अपने विशिष्ट तथ्यों पर दिया गया था।

स्पाइस एनफोटेनमेंट के मामले में निर्णय नहीं लिया गया था इसका पालन इस आधार पर किया गया कि यह एक गैर-अस्तित्व वाली संस्था के नाम पर एक मूल्यांकन आदेश के पारित होने से संबंधित था, जबकि मामला धारा 148 के तहत एक नोटिस से संबंधित था।

एक्ट करें। दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ निर्धारिती द्वारा दायर एसएलपी को रिकॉर्ड करते हुए खारिज कर दिया गयाः " इस मामले के विशिष्ट तथ्यों में, हम आश्वस्त हैं कि नोटिस में दिया गया गलत नाम केवल एक लिपिकीय त्रुटि थी जिसे निम्नानुसार ठीक किया जा सकता थाः

अधिनियम 1961 की धारा 292 बी ";

इसके बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों ने निम्नलिखित निर्णयों में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी के मामले में निर्णय को अलग किया है और एक गैर-अस्तित्व वाली संस्था के नाम पर बनाए गए नोटिस/मूल्यांकन को रद्द कर दिया हैः

राजेंद्र कुमार सहगल बनाम आईटीओ ("राजेंद्र कुमार सहगल") 3 0

चंद्रेशभाई जयंतीभाई पटेल बनाम आईटीओ

(" चंद्रेशभाई जयंतीभाई पटेल ") 3 1; और

अलमेलु वीरप्पन

1

| 260 टैक्समैन 412 (डेल.)

261 कर अधिकारी 137 (गुजरात)

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों के गुणों का आकलन करते समय, यह शुरू में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का विज्ञापन करने के लिए है

मैं मामलाः

सबसे पहले, ए. वाई. 2012-13 के लिए कर के प्रभार के अधीन होने की मांग की जाने वाली आय पूर्ववर्ती इकाई (एस. पी. आई. एल.) की आय है।

एकीकरण से पहले। यह हस्तांतरण मूल्य निर्धारण के कारण है।

रु. का जोड़। 78.97 करोड़;

दूसरा, समामेलन की अनुमोदित योजना के तहत, हस्तांतरणकर्ता ने हस्तांतरणकर्ता कंपनी की देनदारियों को ग्रहण कर लिया है।

कर देनदारियों सहित;

तीसरा, एकीकरण की योजना का परिणाम कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 394 के तहत अनुमोदित है कि

समामेलन कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो गया। सरस्वती में

औद्योगिक सिंडिकेट लिमिटेड, सिद्धांत तैयार किया गया है।

इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियों में -

" 5. आम तौर पर, जहां केवल एक कंपनी परिवर्तन में शामिल होती है और शेयरधारकों और लेनदारों के अधिकार अलग-अलग होते हैं, यह व्यवस्था की योजना के पुनर्निर्माण या पुनर्गठन के बराबर है। विलय में दो या दो से अधिक कंपनियों को विलय या दूसरे द्वारा अधिग्रहण करके एक में मिलाया जाता है। पुनर्निर्माण या 'समामेलन' का कोई सटीक कानूनी आधार नहीं है अर्थ। समामेलन दो या दो से अधिक मौजूदा उपक्रमों का एक उपक्रम, शेयरधारकों में सम्मिश्रण है।

प्रत्येक सम्मिश्रण कंपनी काफी हद तक बन जाती है

कंपनी जो अस्तित्व में है और जारी है लेकिन जिस संदर्भ में इस शब्द का उपयोग किया गया है, वह यह दिखा सकता है कि इसका उद्देश्य इस तरह के अधिग्रहण को शामिल करना है।

देखिएः हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड (चौथा संस्करण खंड 7 पैरा 1539)। दो कंपनियाँ जुड़कर एक नया संगठन बना सकती हैं। कंपनी , लेकिन एक-दूसरे का अवशोषण या सम्मिश्रण हो सकता है, दोनों समामेलन के बराबर हैं। जब दो पीआर।

आय कर आयुक्त, नई दिल्ली बनाम. मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

कंपनियों का विलय किया जाता है और इस तरह से जोड़ा जाता है, ताकि तीसरी कंपनी बनाई जा सके या एक को एक में अवशोषित किया जा सके या दूसरे के साथ मिश्रित किया जा सके।

समामेलित कंपनी अपनी इकाई खो देती है।

((iv)

चौथा, समामेलित कंपनी का अस्तित्व समाप्त होने पर, यह

अधिनियम 1961 की धारा 2 (31) के तहत एक व्यक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है जिसके खिलाफ मूल्यांकन कार्यवाही शुरू की जा सकती है या

मूल्यांकन का आदेश पारित किया गया;

(v)

पाँचवाँ, धारा 143 (2) के तहत 26 को एक नोटिस जारी किया गया था। सितंबर 2013 को समामेलन कंपनी, एस. पी. आई. एल. को, जो

धारा 142 (1) के तहत इसे नोटिस दिया गया था;

(vi)

छठा, उस तारीख से पहले जिस पर क्षेत्राधिकार नोटिस के तहत धारा 143 (2) जारी की गई थी, समामेलन की योजना को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 29 जनवरी 2013 को मंजूरी दी गई थी।

1 अप्रैल 2012 से प्रभावी कंपनी अधिनियम 1956 के तहत;

(vii)

सातवाँ, निर्धारण अधिकारी ने अधिकार क्षेत्र ग्रहण किया

धारा 143 (2) के तहत नोटिस के अनुसरण में एक मूल्यांकन। यह नोटिस समामेलित कंपनी के नाम पर इस तथ्य के बावजूद जारी किया गया था कि 2 अप्रैल 2013 को समामेलित कंपनी

एम. एस. आई. एल. ने समामेलन के तथ्य की जानकारी देते हुए मूल्यांकन अधिकारी को एक पत्र लिखा था। तथ्यों के उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, एक के खिलाफ मूल्यांकन कार्यवाही की शुरुआत

जो अस्तित्व समाप्त हो गया था वह शुरू से ही शून्य था।

20. स्पाइस एंटरटेनमेंट में, दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या एक कंपनी के नाम पर एक मूल्यांकन है जिसे विलय कर दिया गया है और जिसे भंग कर दिया गया है।

शून्य या, क्या ऐसी कंपनी के नाम पर मूल्यांकन तैयार करना केवल एक प्रक्रियात्मक दोष है जिसे ठीक किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 143 (2) के तहत एक नोटिस को संबोधित

किए जाने पर, समामेलित कंपनी ने समामेलन के तथ्य को मूल्यांकन अधिकारी के संज्ञान में लाया था। इसके बावजूद, मूल्यांकन अधिकारी ने समामेलित कंपनी के नाम को प्रतिस्थापित नहीं किया और आगे बढ़े

एक गैर-अस्तित्व वाली कंपनी के नाम पर एक मूल्यांकन करें जो इसे अमान्य बना देता है। उच्च न्यायालय के विचार में, यह केवल एक नहीं था

प्रक्रियात्मक दोष। इसके अलावा, समामेलित कंपनी की भागीदारी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि कानून के खिलाफ कोई रोक नहीं हो सकती हैः

19] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 11. 11 अप्रैल, 2004 को योजना की मंजूरी के बाद, मसाला 1 जुलाई, 2003 से बाहर निकलने के लिए बंद हो जाता है। भले ही स्पाइस ने विवरणी दाखिल की हो, लेकिन आयकर अधिकारियों पर यह दायित्व बन गया कि वे उक्त मृत व्यक्ति के स्थान पर उत्तराधिकारी को प्रतिस्थापित करें। जब धारा 143 (2) के तहत नोटिस भेजा गया था, तो अपीलार्थी/समामेलित कंपनी पेश हुई और इस तथ्य को एओ के संज्ञान में लाया। हालाँकि, उन्होंने अभिलेख पर अपीलार्थी का नाम प्रतिस्थापित नहीं किया।
इसके बजाय, मूल्यांकन अधिकारी ने मेसर्स स्पाइस के नाम पर मूल्यांकन किया जो उस दिन गैर-मौजूदा इकाई थी। ऐसी कार्यवाहियों में मेसर्स स्पाइस के नाम से पारित मूल्यांकन आदेश स्पष्ट रूप से अमान्य होगा। इस तरह के दोष को प्रक्रियात्मक दोष नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा केवल भागीदारी का कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि कानून के खिलाफ कोई रोक नहीं है।

12. एक बार जब यह पाया जाता है कि मूल्यांकन गैर-मौजूदा इकाई के नाम पर तैयार किया गया है, तो यह प्रकृति की एक प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं बनी रहती है जिसे आह्वान करके ठीक किया जा सकता है।

अधिनियम की धारा 292 बी के प्रावधान।

स्पाइस एंटरटेनमेंट के फैसले के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने

न्यायालय ने मूल्यांकन आदेशों को रद्द कर दिया जो में बनाए गए थे

समामेलित कंपनी का नाम -

(i) आयाम परिधान;

((ii) माइक्रोन स्टील; और (iii) माइक्रा इंडिया।

21. आयाम परिधानों में, दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ

अदालत ने 31 दिसंबर 2010 के एक मूल्यांकन आदेश को रद्द करने की पुष्टि की। प्रत्यर्थी ने एक अन्य कंपनी के साथ विलय कर लिया था और इस प्रकार, 7 दिसंबर 2009 से उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। न्यायालय ने राजस्व के इस तर्क को खारिज कर दिया कि मूल्यांकन सार में था और अधिनियम के अनुरूप प्रभाव इस तथ्य के कारण कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती को संबोधित करने में सही नामकरण का उपयोग किया था; इस तथ्य को बताया कि कंपनी ने समामेलित किया था और समामेलित कंपनी के सही पते का उल्लेख किया था। यह राजस्व का तर्क था कि समामेलित कंपनी के नाम का उल्लेख करने के लिए निर्धारण अधिकारी की ओर से चूक एक प्रक्रियात्मक दोष है। दिल्ली पीआर।

आय कर आयुक्त, नई दिल्ली बनाम. मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

उच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया। ऐसा करने में, यह स्पाइस एंटरटेनमेंट में होल्डिंग पर निर्भर था, जहाँ उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया कि

" किसी गैर-विद्यमान संस्था/व्यक्ति के खिलाफ मूल्यांकन तैयार करना एक अधिकार क्षेत्र संबंधी दोष है। डिवीजन बेंच ने स्पाइस एंटरटेनमेंट में हिस्सेदारी पर भी भरोसा किया जिसमें समामेलित कंपनी की भागीदारी थी

कार्यवाहियों में दोष का इलाज नहीं होता है क्योंकि मूल्यांकन आदेश को रद्द करने की पुष्टि करने के लिए "कानून में कोई रोक नहीं हो सकती है"। 22. माइक्रोन स्टील्स में, माइक्रोन स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड (मूल निर्धारिती) को लखनपाल के साथ विलय के बाद एक नोटिस जारी किया गया था

दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने मूल्यांकन आदेशों को रद्द करने के निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा कि स्पाइस एंटरटेनमेंट इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण है कि समामेलन आदेश के कारण एक गैर-अस्तित्व वाली कंपनी के संबंध में मूल्यांकन को पूरा करने से मूल्यांकन को अमान्य कर दिया जाएगा।

23. माइक्रा इंडिया में मूल निर्धारिती माइक्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। लिमिटेड ने डायनेमिक बिल्डमार्ट (पी) लिमिटेड के साथ विलय कर लिया था। विलय के तथ्य के बारे में सूचित किए जाने के बाद राजस्व द्वारा मूल निर्धारिती को नोटिस जारी किया गया था। न्यायालय ने कहा कि हालांकि निर्धारिती ने मूल्यांकन में भाग लिया था, लेकिन मूल निर्धारिती अब अस्तित्व में नहीं था और मूल्यांकन अधिकारी ने हस्तांतरणकर्ता को उस कंपनी के रूप में स्थानांतरित करने का उपचारात्मक उपाय नहीं किया जिसका मूल्यांकन किया जाना था। इसके बजाय, मूल निर्धारिती को अस्तित्व में एक के रूप में वर्णित किया गया था और आदेश में मूल निर्धारिती के नीचे अंतरिती के नाम का उल्लेख किया गया था। डिवीजन बेंच ने डायमेंशन अपेरल्स के फैसले को स्वीकार किया, जिसमें उच्च न्यायालय ने स्पाइस एंटरटेनमेंट के फैसले पर चर्चा की थी। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह एक ऐसा मामला था जिसमें निर्धारण कानून के विपरीत था, जो किसी गैर-अस्तित्व वाले व्यक्ति के खिलाफ पूरा किया गया था।

कंपनी।

24. दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ इस न्यायालय के समक्ष दीवानी अपीलों का एक समूह दायर किया गया था, जिसमें प्रमुख अपील स्पाइस की थी।

एनफोटेनमेंट। 2 नवंबर 2017 को, माननीय न्यायमूर्ति श्री रोहिंटन फली नरीमन और माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय किशन कौल की पीठ ने दीवानी अपीलों को खारिज कर दिया और निम्नलिखित आदेश के संदर्भ में विशेष अनुमति याचिकाओं को टैग कियाः

" देरी को माफ कर दिया गया।

पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना।

19] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हम विवादित लोगों के साथ हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं

उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय।

इसे देखते हुए, हम अपीलों और विशेष अवकाश में कोई योग्यता नहीं पाते हैं

याचिकाएँ।

तदनुसार, अपील और विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं।

25. विलय के सिद्धांत के परिणामस्वरूप यह तय कानूनी स्थिति बनती है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि उपरोक्त द्वारा की जाती है। सिविल अपील में निर्णय।

26. ए. वाई. के लिए प्रतिवादी के मामले में मूल्यांकन का क्रम

2011-12 उसी जमीन पर अलग रखा गया था। इसके परिणामस्वरूप एक विशेष

प्रधान आयकर आयुक्त द्वारा अनुमति याचिका-6 दिल्ली 3 2 32। विशेष अनुमति याचिका को 16 जुलाई 2018 को इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था जिसमें माननीय न्यायमूर्ति श्री रोहिंटन फली नरीमन और माननीय न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा शामिल थे। हालांकि, छुट्टी थी इस न्यायालय द्वारा अनुमति नहीं दी गई है, इस न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका को अस्वीकार करने के लिए कारण दिए गए हैं। घोषित कानून संविधान के अनुच्छेद 141 को लागू करेगा। क्योंकि, जैसा कि इस न्यायालय ने कुन्हयमद में अभिनिर्धारित किया है:

" 40 ..... जहां एस. एल. पी. को अस्वीकार करने का आदेश एक बोलने वाला आदेश है, यानी जहां इस न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति के लिए याचिका को अस्वीकार करने के लिए कारण दिए गए हैं और आदेश में अभी भी कहा गया है

आदेश अपील करने की अनुमति देने के अनुरोध को अस्वीकार करने वाला बना रहता है। याचिकाकर्ता को इस न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दिए बिना सीमा पर वापस कर दिया गया है। यहाँ भी विलय का सिद्धांत लागू नहीं होगा। लेकिन इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश में कहा गया या घोषित कानून संविधान के अनुच्छेद 141 को लागू करेगा। इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश में तथ्य या कानून के बिंदु पर अपने निर्णय (स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा) को व्यक्त करने के लिए दिए गए कारण

इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के साथ या उसके विपरीत किसी भी राय को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण की अधिकारिता को छीन लेगा क्योंकि ऐसा करने की अनुमति देना न्यायिक अनुशासन का उल्लंघन होगा और न्यायिक अनुशासन का अपमान होगा।

32 2018 पीआर की विशेष अनुमति याचिका (सी) (डी) संख्या 14106।

आय कर आयुक्त, नई दिल्ली बनाम. मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

इस न्यायालय का आदेश। हालाँकि यह संदर्भ से ऐसा नहीं होगा

विलय का सिद्धांत "।

27. हालाँकि राजस्व की ओर से जो निवेदन किया गया है, वह यह है कि स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले से एक विपरीत स्थिति सामने आती है, जिसकी पुष्टि की गई थी

6 अप्रैल 2018 में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति श्री ए. के. सीकरी और माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक भूषण शामिल थे। उपरोक्त प्रस्तुतिकरण के गुण-दोषों का आकलन करने के लिए निष्कर्ष निकालना आवश्यक है।

इस न्यायालय का 6 अप्रैल 2018 का आदेशः

" इस मामले के विशिष्ट तथ्यों में, हम आश्वस्त हैं कि नोटिस में दिया गया गलत नाम केवल एक लिपिकीय त्रुटि थी जो हो सकती है

आयकर अधिनियम की धारा 292 बी के तहत सुधार किया जाए। विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी जाती है।

लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है "।

अब, उपरोक्त उद्धरण से यह स्पष्ट है कि यह मामले के विशिष्ट तथ्यों में था कि इस न्यायालय ने अपनी सहमति का संकेत दिया कि

नोटिस में दिया गया नाम केवल एक लिपिकीय त्रुटि थी, जिसे धारा 292 बी के तहत ठीक किया जा सकता था। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के "विशिष्ट तथ्य"

दिल्ली उच्च न्यायालय 3 4 के निर्णय से उभरता है। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, एक एलएलपी, ने 13 मई 2016 को अधिग्रहण किया था और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट के अधिकार और देनदारियों का अधिग्रहण किया था। लिमिटेड सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 3 5 के तहत रूपांतरण पर। इसने इसके लिए रिट कार्यवाही शुरू की अधिनियम 1961 की धारा 147/148 दिनांक 30 के तहत एक नोटिस को चुनौती देना।

ए. वाई. 2010-2011 के लिए मार्च 2017। "विश्वास करने के कारण" ने आयकर विभाग की जांच इकाई से प्राप्त कर चोरी की रिपोर्ट का संदर्भ दिया। तथ्यों का पता लगाया गया था

जाँच इकाई। विश्वास करने के कारण ए. वाई. 2013-2014 के लिए मूल्यांकन आदेश और उसमें दर्ज निष्कर्षों को संदर्भित करते हैं। हालांकि धारा 147/148 के तहत नोटिस स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट के नाम से जारी किया गया था। लिमिटेड (जो एल. एल. पी. में परिवर्तित होने पर अस्तित्वहीन हो गया था), जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह दिखाने के लिए "पर्याप्त और सकारात्मक सामग्री और रिकॉर्ड पर साक्ष्य" माना था कि भंग कंपनी के नाम पर नोटिस जारी करना एक गलती थी। कर चोरी

आईटीआर 296 (दिल्ली)

35 " एलएलपी अधिनियम 2008 "[2019] 9 एस. सी. आर.

प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एल. एल. पी. में बदलने की रिपोर्ट। इसके अलावा, मूल्यांकन अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए विश्वास करने के कारणों को प्रधान आयुक्त के अनुमोदन के साथ जोड़ा जाता है। कुछ दस्तावेजों में एलएलपी के पैन नंबर का भी उल्लेख किया गया था। धारा 147/148 के तहत नोटिस विश्वास करने के कारणों और प्रधान आयुक्त के अनुमोदन के अनुरूप नहीं था। इसी पृष्ठभूमि में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मामला निम्नलिखित कारणों से धारा 292 बी के दायरे में आता हैः

" 18 ..... इसमें कोई संदेह और बहस नहीं थी कि नोटिस याचिकाकर्ता के लिए था और किसी और के लिए नहीं था। नोटिस को संबोधित करने में कानूनी त्रुटि और गलती की गई थी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अपीलार्थी ने उक्त नोटिस प्राप्त करने के बाद बिना किसी पूर्वाग्रह के जवाब/पत्र दायर किया था।

दिनांकित 11.04.2017। उन्होंने कंपनी के नाम से जारी किए जा रहे नोटिस पर आपत्ति जताई थी, जिसका अस्तित्व समाप्त हो गया था। हालाँकि, उक्त पत्र को पढ़ने से संकेत मिलता है कि वे समझ गए थे और जानते थे कि नोटिस उनके लिए था। इसका जवाब उनके द्वारा दिया गया और निपटा गया। तथ्य यह है कि नोटिस मेसर्स को संबोधित किया गया था। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्रा. लिमिटेड, एक कंपनी जिसे भंग कर दिया गया था, प्रतिवादी की ओर से एक त्रुटि और तकनीकी चूक थी।

कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया गया था "।

28. स्पाइस एंटरटेनमेंट में निर्णय को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ अलग किया गया थाः

" 19. याचिकाकर्ता स्पाइस इंफोटेनमेंट लिमिटेड बनाम पर निर्भर है। सेवा कर आयुक्त, (2012) 247 सीटीआर 500। स्पाइस कार्पोरेशन। लिमिटेड, वह कंपनी जिसने विवरणी दाखिल की थी, ने दूसरी कंपनी के साथ विलय कर लिया था। अधिनियम की धारा 147/148 के तहत नोटिस जारी किए जाने के बाद और स्पाइस
कार्पोरेशन के नाम से प्राप्त किया गया। लिमिटेड, निर्धारण अधिकारी को समामेलन के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन मूल्यांकन आदेश समामेलित कंपनी के नाम पर पारित किया गया था, न कि समामेलित कंपनी के नाम पर। उक्त स्थिति में, समामेलन करने वाली कंपनी ने एक अपील दायर की थी और वैधता जारी की थी

मूल्यांकन आदेश को उठाया गया और उसकी जांच की गई। यह अभिनिर्धारित किया गया कि मूल्यांकन आदेश अमान्य था। यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें अधिनियम की धारा 1 के तहत नोटिस को अमान्य और अमान्य घोषित किया गया था, बल्कि एक ऐसा मामला था जिसमें एक न्यायिक व्यक्ति के नाम और उसके खिलाफ मूल्यांकन आदेश पारित किया गया था, जिसका अस्तित्व समाप्त हो गया था और कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भंग हो गया था।

पीआर। आय कर आयुक्त, नई दिल्ली बनाम. मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

आदेश गैर-मौजूदा व्यक्ति के नाम पर था और इसलिए अमान्य और अवैध था।

29. स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में 6 अप्रैल 2018 के इस न्यायालय के आदेश को पढ़ने से दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले ने अपनी चुनौती को खारिज करते हुए, यह स्पष्ट है कि मामले के विशिष्ट तथ्यों ने इस न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद की कि धारा 292 बी के अर्थ में केवल एक लिपिकीय गलती थी। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी में निर्णय को दिल्ली, गुजरात और मद्रास उच्च न्यायालयों द्वारा अलग किया गया हैः

(i) राजेंद्र कुमार सहगल;

((ii) चंद्रेशभाई जयंतीभाई पटेल; और

(iii) अलमेलु वीरप्पन।

30. स्पाइस एनफोटेनमेंट (दिनांक 2 नवंबर 2017) और स्काईलाइट में इस अदालत के फैसलों के बीच कोई टकराव नहीं है।

आतिथ्य एलएलपी (दिनांक 6 अप्रैल 2018 3 7)।

31. राजस्व की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री जोहेब हुसैन ने अपनी दलीलों के दौरान आग्रह किया कि नोटिस जो स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड में जारी किया गया था। लिमिटेड धारा 147 और 148 के तहत था। इसलिए, उन्होंने आग्रह किया कि इस तथ्य के बावजूद कि नोटिस एक मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए एक क्षेत्राधिकार प्रकृति का है, इस अदालत को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में कोई कमजोरी नहीं मिली, जिसमें कहा गया था कि एक पूर्ववर्ती प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को नोटिस जारी करना, जिसे तब से भंग कर दिया गया था, धारा 292 बी के तहत केवल एक गलती थी जिसे ठीक किया जा सकता था। हालाँकि, 6 अप्रैल 2018 के इस न्यायालय के आदेश को बारीकी से पढ़ने से संकेत मिलता है कि विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने में मामले के विशिष्ट तथ्य थे। इन तथ्यों का उल्लेख ऊपर किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ जो बात भारी पड़ी वह यह थी कि हालांकि फिर से खोलने का नोटिस पूर्ववर्ती इकाई के नाम पर जारी किया गया था, कर चोरी रिपोर्ट सहित रिकॉर्ड पर सभी सामग्री ने सुझाव दिया कि इसमें कोई संदेह नहीं था कि नोटिस हमेशा उत्तराधिकारी इकाई को जारी करने का इरादा था। इसलिए, विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए इस न्यायालय ने कहा कि यह मामले के विशिष्ट तथ्य थे जिन्होंने अदालत को इस निष्कर्ष को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया कि नोटिस में दिया गया गलत नाम केवल एक तकनीकी त्रुटि थी जिसे धारा 292 बी के तहत ठीक किया जा सकता था। इस प्रकार, स्पाइस में निर्णयों के बीच कोई टकराव नहीं है 36 2014 की सिविल अपील संख्या 285 और संबंधित मामले 37 2018 [2019] की विशेष अनुमति याचिका संख्या 7409 9 एस. सी. आर.

एक ओर मनोरंजन और दूसरी ओर स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी।

आयकर अधिनियम की धारा 292 बी का उल्लेख करना प्रासंगिक है जो इस प्रकार हैः

" 292 बी. आय, निर्धारण, सूचना, समन या अन्य कार्यवाही, जो प्रस्तुत की गई या जारी की गई या जारी की गई या ली गई या कथित रूप से प्रस्तुत की गई या जारी की गई या जारी की गई या ली गई है, की कोई विवरणी नहीं। इस अधिनियम के प्रावधानों में से कोई भी अमान्य होगा या केवल आय, निर्धारण, नोटिस, समन या अन्य कार्यवाही की ऐसी वापसी में किसी गलती, दोष या चूक के कारण अमान्य माना जाएगा यदि आय, मूल्यांकन, नोटिस, समन या अन्य कार्यवाही की ऐसी वापसी इस अधिनियम के इरादे और उद्देश्य के अनुरूप या उसके अनुसार सार और प्रभाव में है।

इस मामले में, धारा 143 (2) के तहत नोटिस, जिसके तहत आकलन अधिकारी द्वारा अधिकार क्षेत्र ग्रहण किया गया था, गैर-मूल्यांकन अधिकारी को जारी किया गया था।

कंपनी मौजूद है। समामेलन कंपनी के खिलाफ मूल्यांकन आदेश जारी किया गया था। यह एक मूल अवैधता है और धारा 292 बी में प्रकृति का प्रक्रियात्मक उल्लंघन नहीं है।

इस संदर्भ में, धारा 170 के प्रावधानों का विज्ञापन करना आवश्यक है जो मृत्यु के अलावा व्यवसाय के उत्तराधिकार से संबंधित हैं।

धारा 170 इस प्रकार प्रदान करती हैः

" 170. (1) जहां किसी व्यवसाय या पेशे को चलाने वाले व्यक्ति (इस धारा में इसके बाद ऐसे व्यक्ति को पूर्ववर्ती के रूप में संदर्भित किया गया है) का उत्तराधिकारी कोई अन्य व्यक्ति (इसके बाद इस धारा में उत्तराधिकारी के रूप में संदर्भित) हुआ है, जो

उस व्यवसाय या पेशे को जारी रखना,

(क) पूर्ववर्ती का निर्धारण उस पूर्ववर्ष की आय के संबंध में किया जाएगा जिसमें उत्तराधिकार किया गया था।

उत्तराधिकार की तारीख;

(ख) आय के संबंध में उत्तराधिकारी का आकलन किया जाएगा -

उत्तराधिकार की तारीख के बाद का पिछला वर्ष।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जब पूर्ववर्ती नहीं पाया जा सकता है, तो उस पूर्ववर्ष की आय का निर्धारण जिसमें उत्तराधिकार हुआ था, उत्तराधिकार की तारीख तक और उस वर्ष से पहले के पूर्ववर्ष की आय का निर्धारण उत्तराधिकारी पर उसी तरीके से और उसी पी. आर. से किया जाएगा।

जिस हद तक यह पूर्ववर्ती पर किया गया होगा, और इस अधिनियम के सभी प्रावधान, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे।

(3) जब पिछले वर्ष के लिए ऐसे व्यवसाय या पेशे की आय के संबंध में इस धारा के तहत देय कोई राशि -

जो उत्तराधिकार उत्तराधिकार की तारीख तक या उस वर्ष से पहले के वर्ष के लिए हुआ था, पूर्ववर्ती, जिसे उससे वसूल नहीं किया जा सकता है, 99 [निर्धारण] अधिकारी उस प्रभाव के लिए एक निष्कर्ष दर्ज करेगा और पूर्ववर्ती द्वारा देय राशि उसके बाद उत्तराधिकारी द्वारा देय और वसूल करने योग्य होगी और उत्तराधिकारी पूर्ववर्ती से इस तरह से भुगतान की गई किसी भी राशि की वसूली करने का हकदार होगा।

(4) जहां किसी हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा किए गए किसी व्यवसाय या पेशे का उत्तराधिकारी बनता है, और साथ ही उत्तराधिकार के साथ या उत्तराधिकार के बाद सदस्यों या सदस्यों के समूहों के बीच संयुक्त परिवार की संपत्ति का विभाजन होता है, वहां उत्तराधिकार की तारीख तक व्यवसाय या पेशे की आय के संबंध में देय कर का आकलन किया जाएगा और धारा 171 में प्रदान की गई तरीके से वसूल किया जाएगा।

लेकिन इस धारा के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए "आय" में शामिल हैं -

उत्तराधिकार के परिणामस्वरूप व्यवसाय या पेशे के किसी भी तरह से हस्तांतरण से उपार्जित कोई लाभ "

अब, वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि एस. पी. आई. एल. में एक योग्य निर्धारिती होना समाप्त हो गया है। उप-धारा 15 के खंड (ख) के साथ पठित धारा 144 सी के प्रावधानों की शर्तें। इसके अलावा, यह आग्रह किया गया है कि परिणामस्वरूप, अंतिम

31 अक्टूबर 2016 का मूल्यांकन आदेश धारा 153 (4) के साथ पठित धारा 153 (1) के संदर्भ में सीमा से परे था। वर्तमान कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, हम इसमें गहराई से जाना आवश्यक नहीं समझते हैं।

इस निर्णय के पहले भाग में जिन कारणों ने हमें प्रभावित किया है, उन्हें ध्यान में रखते हुए मामले का पहलू। 32. राजस्व की ओर से, आयकर आयुक्त, शिलांग बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भरता रखी गई है।

जय प्रकाश सिंह 3 8 (जय प्रकाश सिंह)। यह एक ऐसा मामला था जिसमें निर्धारिती ने तीन मूल्यांकन वर्षों तक विवरणी दाखिल नहीं की और इस बीच उसकी मृत्यु हो गई। उनके बेटे, जो कानूनी प्रतिनिधियों में से एक थे, ने दायर किया

विवरणी जिस पर निर्धारण अधिकारी ने धारा पी. आर. के तहत नोटिस जारी किए।

142 (1) और धारा 143 (2)। इनका अनुपालन किया गया और मूल्यांकन कार्यवाही पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। मूल्यांकन आदेश सभी कानूनी प्रतिनिधियों के नामों का उल्लेख किया गया और मूल्यांकन एक व्यक्ति की स्थिति में किया गया था। अपील में, यह तर्क दिया गया था कि मूल्यांकन कार्यवाही सभी कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में अमान्य थी

नोटिस नहीं दिया गया। इस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि मूल्यांकन की कार्यवाही अमान्य नहीं थी और सबसे बुरी बात यह थी कि वे दोषपूर्ण थीं। इस संदर्भ में, चट्टूराम बनाम सी. आई. टी. 3 9 में संघीय न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखा गया था जिसमें कहा गया था कि कर का आकलन करने का अधिकार क्षेत्र और कर का भुगतान करने का दायित्व नोटिस की वैधता पर सशर्त नहीं हैः कर का भुगतान करने का दायित्व प्रभार अनुभागों में स्थापित किया जाता है न कि कर की राशि निर्धारित करने के लिए तंत्र प्रावधानों में। पटियाला के महाराजा बनाम सी. आई. टी. 4 0 ("पटियाला के महाराजा") में भी निर्णय पर भरोसा रखा गया था। यह एक ऐसा मामला था जिसमें निर्धारिती की उसके नाम पर मृत्यु के बाद दो नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें उसे आय की वापसी करने की आवश्यकता थी। उत्तराधिकारी को नोटिस जारी किए गए थे

महाराजा और मूल्यांकन आदेश को निर्धारिती को "पटियाला के महामहिम स्वर्गीय महाराजा" के रूप में वर्णित करते हुए पारित किया गया था। उत्तराधिकारी ने मूल्यांकन के खिलाफ यह तर्क देते हुए अपील की कि चूंकि नोटिस पटियाला के महाराजा के नाम पर भेजे गए थे, न कि उन्हें कानूनी रूप से। पटियाला के महाराजा के प्रतिनिधि, आकलन अवैध थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि उत्तराधिकारी महाराजा मृतक के कानूनी प्रतिनिधि थे और जबकि ऐसा करना बेहतर होता

नोटिस में उनका वर्णन करते हुए, नोटिस केवल इसलिए बुरा नहीं था क्योंकि इसमें यह कहना छोड़ दिया गया था कि यह उस क्षमता में दिया गया था। इन दो फैसलों के बाद, जय प्रकाश सिंह मामले में इस अदालत ने कहा कि कार्य करने में चूक या प्रक्रियात्मक प्रावधानों द्वारा प्रदान किए गए नोटिसों की सेवा में कोई दोष कर का भुगतान करने के दायित्व को समाप्त या मिटा नहीं देता है, जहां देयता एक विशिष्ट मूल प्रावधान द्वारा बनाई गई है। चूक या दोष आदेश को अनियमित बना सकता है लेकिन अमान्य या अवैध नहीं। जय प्रकाश सिंह और जिन दो निर्णयों पर उन्होंने भरोसा किया, वे स्पष्ट रूप से विशिष्ट तथ्यों पर आधारित थे। जय प्रकाश सिंह ने एक ऐसी स्थिति को शामिल किया जहां एक कानूनी व्यक्ति द्वारा आय का विवरणी दाखिल किया गया था। जिन प्रतिनिधियों को धारा 142 (1) और 143 (2) के तहत नोटिस जारी किए गए थे। रिटर्न दाखिल करने वाले कानूनी प्रतिनिधि द्वारा कोई आपत्ति नहीं जताई गई थी कि अन्य कानूनी लोगों को भी नोटिस दिया जाना चाहिए।

39 (1947) 15 आई. टी. आर. 303 (एफ. सी.) 40 (1943) 11 आई. टी. आर. 202 (बॉम्बे)

आय कर आयुक्त, नई दिल्ली बनाम. मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

मृतक निर्धारिती के प्रतिनिधि। मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। इसी तरह, पटियाला के महाराजा में निर्णय एक ऐसा मामला था जिसमें कानूनी प्रतिनिधि को नोटिस दिया गया था, उत्तराधिकारी महाराजा और बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि यह केवल इसलिए अमान्य नहीं था क्योंकि इसमें यह कहना छोड़ दिया गया था कि यह उस क्षमता में दिया गया था।

33. वर्तमान मामले में, इस तथ्य के बावजूद कि आकलन अधिकारी को सूचित किया गया था कि समामेलन कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो गया है समामेलन की अनुमोदित योजना के परिणामस्वरूप, अधिकार क्षेत्र का नोटिस केवल उसके नाम पर जारी किया गया था। जिस आधार पर अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया गया था, वह मूल रूप से इस कानूनी सिद्धांत के विपरीत था कि समामेलन की अनुमोदित योजना पर समामेलन इकाई का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। परिस्थितियों में अपीलार्थी द्वारा कार्यवाही में भागीदारी कानून के खिलाफ एक अवरोध के रूप में काम नहीं कर सकती है। यह पद अब धारण करता है

दो विद्वान न्यायाधीशों की एक समन्वित पीठ के फैसले को देखते हुए क्षेत्र जिसने स्पाइस में राजस्व की अपील को खारिज कर दिया

ए. वाई. 2011-2012 के लिए विशेष अनुमति याचिका को खारिज करना। ऐसा करते हुए, इस न्यायालय ने स्पाइस एनफोटेनमेंट के फैसले पर भरोसा किया है। 34. हम एक अलग दृष्टिकोण लेने का कोई कारण नहीं पाते हैं। एक मूल्य है जिसका न्यायालय को निश्चितता के हित को बढ़ावा देने में पालन करना चाहिए।

कर मुकदमा। ए. वाई. 2011-12 के लिए प्रतिवादी के संबंध में इस न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण, हमारे विचार में वर्तमान अपील के संबंध में अपनाया जाना चाहिए जो ए. वाई. 2012-13 से संबंधित है। ऐसा न करने से केवल अनिश्चितता और तय की गई अपेक्षाओं का विस्थापन होगा। एक महत्वपूर्ण मूल्य है जो स्थिरता और निश्चितता की आवश्यकता को देखने से जुड़ा होना चाहिए। व्यक्तिगत मामलों का संचालन किया जाता है और व्यावसायिक निर्णय निरंतरता, एकरूपता और निश्चितता की अपेक्षा में किए जाते हैं। उन सिद्धांतों से हटना न तो समीचीन है और न ही वांछनीय।

35. उपरोक्त कारणों से, हम अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। तदनुसार अपील खारिज कर दी जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

याचिका खारिज कर दी गई।

दिव्या पांडे